वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. सं.17/66/25/94-पीपीएस Dated दिनांक: 25.9.2006

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To सेवा में

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषयः- संशोधित योग्यता एवं सामान्य मूल्यांकन योजना (संशोधित मानस) की क्लॉज 1.3.2 के अनुसार समूह-III(6) से समूह-III(7) में पदोन्नति मूल्यांकन

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित मानस के पैरा 2.2.3.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, समूह-IV की प्रवेश स्तरीय अर्हता रखने वाले ग्रेड-III(6) में कार्यरत कर्मचारी ही ग्रेड-III(7) में मूल्यांकन के हकदार हैं। तथापि, संशोधित मानस के पैरा 1.3.2 के अनुसार समान समूह में पदोन्नति मूल्याकन हेतु न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव का प्रतिबंध मौजूदा कर्मचारियों पर लागू नहीं है। जेसीएम के स्टाफ साइड सदस्यों ने यह मांग की थी कि ग्रेड-III(6) से ग्रेड-III(7) में पदोन्नति मूल्यांकन, समूह-IV की प्रवेश स्तरीय अर्हताओं के प्रतिबंध के बिना किया जाए, जैसा कि संशोधित मानस के पैरा 2.2.3.1 में निर्धारित है, क्योंकि यह संशोधित मानस के पैरा 1.3.2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

शासी निकाय ने दिनांक 21 जून 2006 को संपन्न अपनी 167वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि संशोधित मानस के पैरा 2.2.3.1 में निहित प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाए और समूह-III की प्रवेश स्तरीय अर्हता रखने वाले समूह-III(6) के कर्मचारियों का पदोन्नति हेतु मूल्यांकन ग्रेड-III(7) तक किया जाए ।

तथापि, सीएसआईआर के दिनांक 19.6.95 के पत्रांक 17/66/94-पीपीएस में निहित अनुदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1.2.1981 को सेवा में थे और जिनके पास समूह - III की प्रवेश स्तरीय अर्हता नहीं थी तथा जिन्हें समूह - III में रखा गया था, केवल ग्रेड-III(2) तक ही मूल्यांकन हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे । इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां अनुभव, विशिष्ट दक्षता अर्जन आदि की वजह से महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा अपवादी मामले में अर्हता की शर्त में छूट प्रदान की जाती है, ग्रेड-III(4) तक ही इन व्यक्तियों के मूल्यांकन पर विचार किया जा सकता है।

जारी.2/-

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

उक्त आशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगा। कृपया इसे अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के संबंधितों के उनकी सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ध्यान में लाएं।

इस परिपत्र के हिंदी पाठ में किसी प्रकार की द्वयअर्थकता व अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

भवदीय

25/9/06.

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी
3. महानिदेशक,सीएसआईआर के स्टाफ अधिकारी
4. सयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
7. यूआरडीआईपी, आईपीएमडी, एचआरडीजी, आरएबी, एचआरडीसी, आरडीपीडी, टीएनबीडी के प्रधान
8. सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
9. डॉ. आर.बी.मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केंद्र, पोस्ट बॉक्स नं. 80, एम.जी.मार्ग, लखनऊ-226001

Circular No. : 317

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 17/66/25/94-PPS Dated September 25, 2006

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

Directors/Heads of all National Labs./Instts.

Sub: **Assessment promotion from Group-III(6) to Group-III(7) according to Clause 1.3.2 of Revised Merit and Normal Assessment Scheme (Revised MANAS).**

Sir,

I am directed to state that as per the provisions contained in para 2.2.3.1 of Revised MANAS, staff in Grade-III(6), who possess the entry level qualification of Group-IV, will only be eligible for assessment to the Grade-III(7). However, as per para 1.3.2 of Revised MANAS, for assessment promotion within the same group the restriction of minimum qualifications and experience will not apply to existing employees. The Staff Side members of JCM had raised a demand that assessment promotion from Grade-III(6) to III(7) may be provided without the restriction of entry level qualifications of Gr.IV as laid down in para 2.2.3.1 of Revised MANAS, as the same is not in conformity with the provisions of para 1.3.2 of Revised MANAS.

The matter was considered by the Governing Body in its 167th meeting held on 21st June 2006 and it has been decided that the provisions contained in para 2.2.3.1 of Revised MANAS may be deleted, and Group-III(6) employees, having the entry level qualification of Group-III, may be assessed for promotion upto Gr.III(7).

However, as per the instructions contained in CSIR letter No. 17/66/94-PPS dated 19-6-95, the employees who were in service as on 1.2.1981 and did not possess entry level qualification of Group-III and placed in Group-III, will be eligible for consideration for assessment upto Grade-III(2) only. Similarly, in cases where the condition of qualification has been relaxed as an exceptional case by the DG, CSIR by virtue of acquiring experience, specialized skill etc., assessment of these persons can be considered only upto Grade-III(4).

25/9/06

contd....

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

The above modification will come into force from the date of issue of this Circular. This may be brought to the notice of all concerned in your Lab./Instt. for information, guidance and necessary action.

Yours faithfully,

25/9/06

(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:

1. Sr.COAs/COAs/AOs of all Labs./Instts.
2. Sr.Dy.FAs/DY. FAs/Sr.F&AOs/F&AOs of all Labs./Instts.
3. Staff Officer to DG, CSIR
4. PPS to JS(A), CSIR
5. PS to FA, CSIR
6. CVO, CSIR
7. Heads of URDIP, IMPD, HRDG, RAB, HRDC, RDPD, TNBD
8. All Deputy Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs./CSIR Complex.
9. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Industrial Toxicology Research Centre, Post Box No.80, M.G. Marg, Lucknow-226001.